न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 273/2018 (143/2015)
दायर दिनांक :– 28.05.2015

अनवान

1. श्री गोविन्द उर्फ उदयलाल पिता भुवाना नाई नि. लाल का खेडा हाल खजुरी तह. जहाजपुर
2. सुश्री लीला पुत्री भुवाना पत्नि भैरू नाई नि. लाल का खेडा तह. जहाजपुर

वादीगण......

बनाम

1. श्री जगदीश पिता काना नाई नि. लाल का खेडा तह. जहाजपुर
2. श्री सत्यनारायण पिता सुगना नाई नि. लाल का खेडा तह. जहाजपुर
3. श्रीमति इन्द्रा पुत्री सुगना पत्नि सत्यनारायण नाई नि. लाल का खेडा तह. जहाजपुर
4. श्रीमति मनभर पत्नि सुगना नाई नि. लाल का खेडा तह. जहाजपुर
5. श्रीमति गीता पत्नि भुवाना नाई नि. लाल का खेडा तह. जहाजपुर
6.. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 53, 183 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री रितेश कांटिया, वकील वादीगण

:: आदेश :: दिनांक 10.12.2019

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम लाल का खेडा प. ह. बरोदा तह0 जहाजपुर की आ0 न0 143, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 224, 225, 226, 227, 246, 247, 318, 319, 321 कुल किता 18 रकबा 40. 16 बीघा गोविन्द लीला पिता भुवाना, गीता बेवा भुवाना 3/8 जगदीश पिता काना 1/8 सत्यनारायण इन्द्रा पिता सुगना मनभर बेवा सुगना 1/4 मिश्री पिता नंगा 1/4 खातेदारी दर्ज है। काना की मृत्यु हो गई उसके 2 लडके जगदीश भुवाना हुये। भुवाना की मृत्यु हो गई उसकी विधवा गीता पुत्री लीला पुत्र गोविन्द उर्फ उदयलाल रहे। सुगना की मृत्यु हो गई उसका पुत्र. सत्यनारायण पुत्री इन्द्रा पत्नि मनभर रहे। मोहन की मृत्यु हो गई उसका हिस्सा भुवाना के नाम दर्ज किया गया। मिश्री ला औलाद मर गया। उसने अपनी वसीयत भुवाना के नाम लिख दी व भुवाना के वारिस वादी है। उक्त वर्णित भुमि में मिश्री का हिस्सा उसने अपने जीवन काल में भुवाना के नाम कर दिया। मिश्री व भुवाना की मृत्यु हो गई मिश्री एव भुवाना के सामाजिक कार्य वादी सं. 1 ने किये व दोनो की सेवा की व वादी ही भुवाना व मिश्री की जमीन काश्त कर रहा है। व वादी का कब्जा हैं इसलिये वादी मिश्री के हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाना चाहता हैं उक्त वर्णित भुमि का वादीगण के नाम पर मिश्री के हिस्से की खातेदारी घोषणा के बाद बंटवारा किये जाने व कब्जे अनुसार बंटवारा कर अलग अलग कब्जा

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

दिये जाने व खातेदारी घोषणा बहक वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 विरूद्व प्रतिवादी सं. 1 से 4 के प्रदान करने की मांग की।

वादीगण वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई प्रतिवादीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 की प्रदर्श 1, मुल वसीयत नामा प्रदर्श 2, भुवाना का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, मिश्रीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी 2045 से 2048 की प्रदर्श 5, नकल जमाबन्दी 2053 स 2056 प्रदर्श 6, नकल जमाबन्दी 2057 से 2060 प्रदर्श 7, नकल जमाबन्दी 2057 से 2060 प्रदर्श 8, नकल जमाबन्दी 2061 से 2064 की प्रदर्श 9 हैं नकल जमाबन्दी 2064 से 2068 की प्रदर्श 10 है। एवं ब्यान गवाह में स्वंय वादी सं. 1 गोविन्द उर्फ उदयलाल पी. डब्ल्यु 1, गणपल लाल पी.डब्ल्यु 2, सुरेशचन्द्र पी.डब्ल्यु 3, दुर्गाप्रसाद पी.डब्ल्यु 4 के ब्यान करवाये गये। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की उक्त वर्णित आराजियात की मिश्रीलाल पिता नगजीराम नाई नि. लाल का खेडा द्वारा जरिये वसीयत नामा वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी सं. 5 के पति भुवाना के पक्ष में की गई थी। जिसकी ताईद प्रदर्श 2 मुल वसीयत पत्र से होती हैं। जिसमें मिश्रीलाल ने उक्त वाद में वर्णित भुमि का भुवाना के पक्ष मे वसीयत नामा लिखा गया है। तथा उक्त वसीयत नामा में अंकित गवाह गणपत पी डब्ल्यु 1, सुरेश पी डब्ल्यु 2 दुर्गाप्रसाद पी डब्ल्यु 3 के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बयान प्रस्तुत किये गये है। उक्त वसीयत नामा उक्त गवाहानो के सामने लिखा गया है। तथा उक्त वसीयत नामा में उक्त गवाहान के हस्ताक्षर अंकित है। इसलिये उक्त वसीयत नामा अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 5 ग्राम लाल का खेडा प. ह. बरोदा तह० जहाजपुर की आ० न० 143, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 224, 225, 226, 227, 246, 247, 318, 319, 321 कुल किता 18 रकबा 40.16 बीघा में मिश्री पिता नंगा 1/4 के स्थान पर 1/4 हक हिस्से तक खातेदारी पाने के अधिकारी है। जिसे वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है की ग्राम लाल का खेडा प. ह. बरोदा तह० जहाजपुर की आ० न० 143, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 224, 225, 226, 227, 246, 247, 318, 319, 321 कुल किता 18 रकबा 40.16 बीघा में मिश्री पिता नंगा 1/4 के स्थान पर वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 5 गीता को 1/4 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

ब ईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

1. श्री गोविन्द उर्फ उदयलाल पिता भुवाना नाई नि. लाल का खेडा हाल खजुरी तह. जहाजपुर
2. सुश्री लीला पुत्री भुवाना पत्नि भैरू नाई नि. लाल का खेडा तह. जहाजपुर

वादीगण......

बनाम

1. श्री जगदीश पिता काना नाई नि. लाल का खेडा तह. जहाजपुर
2. श्री सत्यनारायण पिता सुगना नाई नि. लाल का खेडा तह. जहाजपुर
3. श्रीमति इन्द्रा पुत्री सुगना पत्नि सत्यनारायण नाई नि. लाल का खेडा तह. जहाजपुर
4. श्रीमति मनभर पत्नि सुगना नाई नि. लाल का खेडा तह. जहाजपुर
5. श्रीमति गीता पत्नि भुवाना नाई नि. लाल का खेडा तह. जहाजपुर
6.. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – 88, 89, 90, 53,183 आर. टी. ए.

प्रकरण संख्या :– 273/2018 (143/2015)

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री रितेश कांटिया का मिनजानिब मुदई व श्री का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण का वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है की ग्राम लाल का खेडा प. ह. बरोदा तह0 जहाजपुर की आ0 न0 143, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 224, 225, 226, 227, 246, 247, 318, 319, 321 कुल किता 18 रकबा 40.16 बीघा मे मिश्री पिता नगा 1/4 के स्थान पर वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 5 गीता को 1/4 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.12.2019

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: